न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 88/2025

प्रार्थी

1. श्री प्रतापराम पुत्र श्री गणेशराम जाति माली निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्रीमती बदीदेवी पत्नि स्व. श्री मोहनलाल जाति माली निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. ग्राम पंचायत वीरवाडा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री अश्विन मरडिया, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3. श्री नारायण पटेल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

निर्णय दिनांक 28.11.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो श्रीमती बदीदेवी पत्नि स्व. श्री मोहनलाल जाति माली निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के हक में जारी पट्टा संख्या 29548 दिनांक 29.08.2024 क्षेत्रफल 462 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण पटेल द्वारा जरिए अलग–अलग वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या एक ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित पट्टा संख्या 29548 दिनांक 29.08.2024 क्षेत्रफल 462 वर्गफुट जारी किया गया है। यह कि प्रार्थी ग्राम वीरवाड़ा का निवासी है एवं ग्राम वीरवाडा में डाकघर जाने वाले रास्ते पर प्रार्थी का पुश्तैनी केलुपोश मकान व कब्जाशुदा भूमि स्थित है। उक्त मकान के आगे स्थित कब्जाशुदा भूमि प्रार्थी के पूर्वरसाधिकारियों के समय से करीब 50 वर्षो से भी अधिक समय से मवेशी बांधने के काम आती थी। प्रार्थी ने उक्त भूमि का पट्टा बनवाने हेतु अनेकों

जिला कलेक्टर, सिरोही

.....पेज नं. 02

Scanned with CamScanner

आवेदन देने के उपरांत भी अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रश्नगत भूमि रास्ता भूमि होना व विक्रय योग्य नहीं होना जाहिर करते पट्टा जारी नहीं किया गया। उक्त कब्जेशुदा भूमि पर प्रार्थी की भवन निर्माण सामग्री ईट, पत्थर, पानी की टंकी, विद्युत सम्बन्ध के एंगल, जल सम्बन्ध पाईप आदि पड़े थे, जिन्हें दिनांक 17.08.2024 को लीलाराम पुत्र मूलारामजी व रितेश पुत्र रमेशलाल जी माली ने सरपंच योगेश रावल तथा ग्राम सेवक बलवंत सिंह की मदद से विधि विरुद्ध व अधिकारातीत कृत्य करके हटा दिया। उक्त अवैध कार्यवाही के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना पिंडवाड़ा में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, परंतु उक्त सभी प्रभावशाली व रसूखदार व्यक्ति होने से प्रार्थी की रिपोर्ट को ही झूठा साबित कर दिया, जिस पर अभ्यापत्ति आवेदन प्रार्थी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट पिंडवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। उक्त आपराधिक प्रकरण की जांच में प्रार्थी के कब्जेशुदा भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या एक के नाम जारी किए जाने के तथ्य की जानकारी हुई। अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी पट्टे की कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के जरिए सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 07.10.2024 को मांग किए जाने पर अप्रार्थी के सूचना अधिकारी ने हठ धर्मितापूर्वक नकल उपलब्ध नहीं करवाई। अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी पट्टे की कार्यवाही के कुछ दस्तावेज व पट्टा प्रति पुलिस द्वारा अपराधिक प्रकरण में प्रस्तुत किए गए हैं, जिनकी नकलें प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी को उसकी भूमि व अधिकारों से वंचित करने की बदनियति से अप्रार्थी संख्या एक को आनन फानन में लीलाराम से मिलावट कर नियम विरुद्ध कार्यवाही कर फर्जी व कूटरचित तथ्यों पर भूमि का रियायती दर पर आवंटन कर दिया गया है, जबकि उक्त आवंटन विधि व तथ्यों के विपरीत है और निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा भूमि का पट्टा बनवाने हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन व उस पर हुई तमाम कार्यवाही अप्रार्थी संख्या दो की मिलावट व अन्य व्यक्तियों लीलाराम, ग्राम सेवक आदि के सहयोग तथा षड्यंत्र से तथ्यों की कूटरचना कर होना पत्रावली के अवलोकन मात्र से साबित है, जबकि प्रश्नगत भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी। यह कि नजरिए नक्शे में प्रश्नगत विक्रय विलेख वाली भूमि पर लीलाराम पुत्र मूलाजी का कब्जा होना बताया गया है तथा लीलाराम से उक्त भूमि का कब्जा अप्रार्थीगण द्वारा प्राप्त किया जाना अभिलेख से साबित नहीं है। भूमि विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं होने के उपरांत भी अप्रार्थी संख्या दो द्वारा उक्त भूमि के आवंटन हेतु तमाम प्रक्रिया अपनाया जाना संपूर्ण प्रक्रिया पर न केवल प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है बल्कि विक्रय विलेख जारी करने की तमाम प्रकिया की सत्यता व प्रामाणिकता को झुठलाती है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक के पांच पुत्र श्री ईश्वरलाल, प्रकाश, पुनाराम, सुरेश व मुकेश है, जिनमें से श्री ईश्वरलाल, पुनाराम व सुरेश चेन्नई में कपड़ों का व्यवसाय भागीदारी में कर रहे हैं तथा परिवार सहित वहीं रह रहे है। मुकेश ग्राम वीरवाड़ा में लाइट फिटिंग का कार्य करता है तथा प्रकाश उसके चाचा लीलाराम के पेट्रोल पम्प पर नौकरी करता है। ग्राम वीरवाड़ा में आरासुरी कॉलोनी के पास पांच भूखण्ड, करलाई नाड़ी के पास दो भूखण्ड, राजकीय स्कूल के पास एक भूखंड अप्रार्थी संख्या एक व उनके पुत्रों के स्वामित्व के है। उसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या एक ने अपने पति के स्वामित्व का पुराना मकान गिरवा कर गत वर्ष उस पर आधुनिक सुविधायुक्त दो मकान का नवनिर्माण करवाया है। श्री ईश्वरलाल द्वारा अपने निवास हेतु भी अलग मकान का निर्माण करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या एक के पुत्रों ईश्वरलाल, प्रकाश तथा पुनाराम के पास स्वयं के मोटरसाइकिल भी है। अप्रार्थी संख्या एक ना तो आवासहीन थी और ना ही भूमिहीन की श्रेणी में थी तथा अप्रार्थी संख्या एक बी.पी.एल. श्रेणी में ही नहीं थी। प्रश्नगत विक्रय विलेख वाली भूमि के समीप ही उत्तर दिशा में अप्राथी संख्या एक के ससुर की संपत्ति है, जिसमें भी अप्रार्थी संख्या एक का हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा धारित संपत्ति से व उनके रहन–सहन से स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के पदाधिकारी से मिलावट कर षडयंत्रपूर्वक फर्जी बी.पी.एल. कार्ड बनवा रखा है और उक्त फर्जी व जाली कार्ड से पात्र ना होते हुए भी गलत सुविधाएं प्राप्त कर रखी है, जिससे अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी भूमि विक्रय विलेख तथा उस हेतु लिए गए प्रस्ताव निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक रियायती दर से अथवा अन्यथा भी भूमि क्रय करने की पात्रता नहीं रखती थी।

जिला कलेक्टर, सिरोही

.....पेज नं. 03

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या दो से मेल मिलाप कर अप्रार्थी संख्या एक ने उसकी व परिवार द्वारा धारित संपत्ति को छिपाते हुए गलत आवेदन भूमि रियायती दर पर प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया तथा उनके द्वारा अपने आवेदन दिनांक 23.06.2024 में भूमिहीन होने का कोई उल्लेख नहीं किया है और ना ही प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 23.06.2024 में दर्शाए अनुसार पट्टा संख्या 110 की भूमि के दक्षिण में स्थित भूमि उसके कब्जे में होने का तथ्य अंकित है। अप्रार्थी संख्या दो के सरपंच योगेश रावल व ग्राम विकास अधिकारी के यह पूर्ण संज्ञान में था कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का पुराना कब्जा है तथा भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन सन् 1996 से प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। प्रार्थी से पट्टा जारी करने हेतु विधि विरुद्ध राशि की मांग की जा रही थी। प्रार्थी द्वारा शिकायत करने पर ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच द्वारा प्रार्थी के साथ गारपीट की गई, जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस थाना पिंडवाड़ा में पेश की गई है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा उक्त तमाम प्रक्रिया अप्रार्थी संख्या एक के देवर लीलाराम को विधि विरुद्ध फायदा पहुंचाने हेतु अपनाई गई है। प्रस्ताव दिनांक 23.06.2024 के तथ्यों में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग किए जाने का स्पष्ट अंकन है। निश्चित रूप से अप्रार्थी संख्या एक भूमिहीन नहीं होकर अतिचारी थी। उक्त अंकन व अप्रार्थी संख्या दो की विक्रय विलेख जारी करने में मिलावट पत्रावली पर मौजूद प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 22.07.2024 से ही सिद्ध है, जिसमें प्रश्नगत विक्रय विलेख वाली भूमि पर नजरिए नक्शे में लीलाराम का कब्जा दर्शाया गया है। यदि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा होने व उपयोग उपभोग करने का तथ्य सत्य था, तो नजरिया नक्शा झूठा था। पत्रावली पर मौजूद तथ्यों से साबित है कि तमाम प्रक्रिया नियम विरुद्ध की गई है तथा प्रार्थी को भूमि से वंचित करने हेतु फर्जी पत्रावली तैयार की गई है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक आवासहीन अथवा भूमिहीन नहीं थी इसके उपरांत भी वार्ड पंच द्वारा की गई रिपोर्ट में भूमि आवंटन की सिफारिश करते गांव में रहवासी भूखण्ड नहीं होने बाबत तथ्य अंकित किया गया है, जो स्पष्टतः झूठी व गलत है एवं अप्रार्थी संख्या एक को सदोष लाभ पहुंचाने के लिए कूटरचित बनाई गई है। यह कि प्रश्नगत भूमि मुख्य आबादी में है और उक्त भूमि यदि विक्रय योग्य थी तो उक्त परिस्थिति में राज. पंचायती राज अधिनियम के नियम 141 से 168 के तहत प्रकिया अपनाने व आम नीलामी के जरिए विक्रय किए जाने का कोई कारण किसी भी प्रस्ताव में नहीं दर्शाया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक के स्वामित्व की ग्राम वीरवाड़ा में काफी आबादी भूमि तथा कृषि भूमि स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या एक भूतपूर्व सैनिक भी नहीं थी और ना कमजोर वर्ग की व्यक्ति थी। अप्रार्थी संख्या एक राजस्थान पंचायती राज नियम 159 अथवा 158 के प्रावधानों की परिसीमा में ही नहीं आती थी। यह गौर योग्य है कि अप्रार्थी संख्या एक के हक में लिए गए प्रस्तावें में सिविल कोर्ट, पिण्डवाड़ा व पुलिस थाना पिण्डवाड़ा के नजरिए नक्शे में लीलाराम का कब्जा होना दर्शाया जाने का उल्लेख होने के आधार पर लीलाराम से अनापत्ति मांगी गई है। उक्त प्रलेख अथवा उक्त तथ्यों की जानकारी का कोई स्त्रोत स्पष्ट नहीं किया गया है। निश्चित रूप से किसी न किसी हितबद्धता के कारण ही उक्त तथ्य अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अभिलेख पर लाया गया है। यदि उक्त भूमि पर लीलाराम का कब्जा अथवा अतिचार था तो उक्त भूमि विक्रय हेतु उपलब्ध ही नहीं थी। यह भी गौर योग्य है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा लीलाराम का कब्जा होने की कोई पुष्टि नहीं की गई है। लीलाराम द्वारा प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे पर जबरन कब्जा दिनांक 17.08.2024 को किया गया है, जिसके सम्बंध में प्रार्थी द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया। प्रार्थी के कब्जेशुदा भूमि का विक्रय लीलाराम को किए जाने हेतु अप्रार्थी संख्या दो द्वारा जानबूझकर पहले की तारीख में बदी देवी से उक्त भूमि के आवंटन हेतु आवेदन लिया गया तथा फर्जी अभिलेख बनाए गए। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा लिए गए प्रस्तावों के क्रमांक में कांट छांट ही उन्हें संदिग्ध साबित करती है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 23.08.2024 के तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक तक भूमि आंवटन हेतु कोई आवेदन नहीं दिया था और ना ही कोई विक्रय विलेख उक्त भूमि के संबंध में जारी किया गया था अन्यथा नोटिस में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने का उल्लेख नहीं किया जाता। यह गौर योग्य है कि उक्त नोटिस प्रार्थी व लीलाराम को सम्बोधित है। यदि आवेदन व प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 23.06.2024 में उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक

जिला कलेक्टर, सिरोही

.....पेज नं. 04

Scanned with CamScanner

का कब्जा था तो नोटिस अप्रार्थी संख्या एक को भी सम्बोधित होता। यह भी गौर किए जाने योग्य है कि उक्त भूमि का विक्रय विलेख जारी करने का प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 22.07.2024 व दिनांक 05.08.2024 अप्रार्थी संख्या एक के हक में लिया जा चुका था तो निजी भूमि विवाद के बारे में नोटिस दिए जाने का अप्रार्थी संख्या दो को कोई अधिकार ही नहीं था। मौजूद अभिलेख से एवं अप्रार्थी संख्या दो द्वारा की गई कार्यवाही से तमाम प्रक्रिया फर्जी, बनावटी व संदेहास्पद सिद्ध है। अतः अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी विक्रय विलेख व उसे हेतु लिए गए प्रस्ताव अपास्त किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा दिनांक 04.09.2024 को अप्रार्थी संख्या दो को आवेदन पेश कर लीलाराम पुत्र मूलाजी द्वारा उसके पट्टेशुदा भूखण्ड पर अवैध निर्माण करवा रहा होने व उसे तुरंत रोकने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त आवेदन पर अप्रार्थी संख्या दो द्वारा लीलाराम पुत्र मूलाजी माली को दिनांक 05.09.2024 को नोटिस प्रेषित कर उक्त स्थान पर अप्रार्थी संख्या एक का पट्टा बना होने से अवैध निर्माण तुरन्त बंद करने हेतु सूचित किया गया है। उक्त तमाम प्रक्रिया व उस हेतु लिए गए प्रस्ताव षडयंत्रपूर्वक फर्जी व कूटरचित बनाए जाने सिद्ध व प्रमाणित है, जिस भूमि का आवंटन/विक्रय किए जाने हेतु लीलाराम स्वयं अनापत्ति दे रहा है और दिनांक 29.08.2024 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है। वही व्यक्ति उक्त भूमि पर अवैध निर्माण करे, मानव व्यवहार के विपरित है। उक्त नोटिस से साबित है कि लीलाराम का कब्जा साबित करने के लिए तथा लीलाराम को भूमि विक्रय करने हेतु अप्रार्थी संख्या एक को मोहरा बना कर ईरादतन व दुराग्रह से फर्जी प्रक्रिया अपनाई जा कर विक्रय विलेख जारी किया गया है, जो अपास्त किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक के आधारकार्ड, परिवार कार्ड व मतदाता सूची आदि से स्पष्ट है कि उनका निवास अपने पति मोहनलाल माली के स्वामित्य के मकान में है, जिससे अप्रार्थी संख्या एक रियायती दर से भूमि क्रय करने का राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पात्रता ही नहीं रखती थी। यह कि प्रश्नगत विक्रय विलेख वाली भूमि के उत्तर दिशा में श्री मूलाराम पुत्र जेठाजी माली के स्वामित्व का मकान स्थित है। उक्त मकान का पट्टा संख्या 110 दिनांक 23.09.1976 अप्रार्थी संख्या दो द्वारा जारी किया गया है। उक्त पट्टा संख्या 110 में वर्णित अडौस पड़ोस के विवरण में माली गणेशा, रोमा, भगा के पोल का रास्ता अंकित है। उक्त माली गणेशा प्रार्थी के पिता व रोमा, भगा प्रार्थी के ही कुटुम्बी है। पट्टा संख्या 110 के दक्षिण में स्थित आम रास्ता कदीम से मौजूद था। प्रार्थी व उसके कुटुम्बी ही उक्त सार्वजनिक आम रास्ते का आवागमन हेतु उपयोग करते आए है। उक्त रास्ता इस पूर्ण 20 फीट चौडाई में 100 वर्षों से भी अधिक समय से मौजूद है। यह कि उक्त सार्वजनिक आम रास्ता राजस्थान राज्य व उसके अधीनस्थ अप्रार्थी संख्या दो ग्राम पंचायत में निहित करता है। यह कि लीलाराम ने उक्त आम रास्ते की भूमि के करीब 11 फीट भाग पर अतिक्रमण कर दीवार निकालने का प्रयास किया है और उक्त अवरोधित भूमि को ही अप्रार्थी संख्या एक के कब्जे व उपयोग उपभोग की होना दर्शाते तथा लीलाराम से अनापत्ति लेकर विक्रय करने हेतु प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 22.07.2024, प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.08.2024 व प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 29.08.2024 लिया जा कर विक्रय विलेख संख्या 29548 दिनांक 29.08.2024 जारी किया गया है। अप्रार्थीगण के कृत्य से आम रास्ते की भूमि के भाग करीब 11 फीट में अवरोध पैदा हो गया और रास्ता संकड़ा हो गया है। उक्त आम रास्ते की भूमि या उसके भाग का उपयोग रास्ते के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु परिवर्तित करने का अधिकार अप्रार्थीगण को नहीं है। यह कि निगरानी प्रस्तुति हेतु विधि में अवधि नियत नहीं है। उक्त विक्रय विलेख व प्रक्रिया का विस्तृत ज्ञान प्रार्थी को दिनांक 18.02.2025 को नकलें प्राप्त करने से हुआ है अन्यथा भी विधि विरुद्ध कृत्य को विधि में कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 29548 दिनांक 29.08.2024 क्षेत्रफल 462 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावें। इस संबंध में इनके द्वारा विधिक दृष्टांत 1967 RLW 257, 1970 RLW 277, 1972 RLW 51, 1992(2) RLW 229, 1982 A.I.R. [Raj.] 281, 2009 [2] DNJ 1025, 2017 [4] DNJ 1829 प्रस्तुत किए।

जिला कलेक्टर, सिरोही

.....पेज नं. 05

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। यह है कि प्रार्थी गांव वीरवाडा का निवासी है तथा ग्राम वीरवाडा में डाकघर जाने वाले रास्ते के लगता बाणमाता जी का मंदिर आया हुआ है, उसके पास में स्थित गली के आगे 12 फिट चौडाई में रास्ता मिलता है एवं उस रास्ते पर प्रार्थी के पिता गणेश पुत्र बदाजी व उसके भाई रामा पुत्र बदाजी व अन्य के मकानात आये हुए है। प्रार्थी के पिता गणेश पुत्र बदाजी का मकान केलुपोश के रूप में अवश्य बना हुआ है, उक्त मकान के आगे 12 फिट चौडाई में रास्ता था, जिस पर प्रार्थी व उसके पिता ने अतिक्रमण कर रखा है। उस रास्ते के पश्चात की भूमि से प्रार्थी या उसके पिता का कभी भी कोई लेना देना नही रहा है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या एक के कब्जा भोगवटा व मालकी स्वामित्व की भूमि है, जिसका वह कदीम से उपयोग उपभोग करती आ रही है, उसी आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार अप्रार्थी संख्या एक के हक में पट्टा जारी किया हुआ है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक गरीब बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिला है, जिस पर प्रार्थी ने प्रभावशाली व रसूखदार व्यक्ति होने का गलत रूप से आरोप लगाया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को डराने धमकाने एवं झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए पुलिस थाना पिण्डवाडा में मुकदमा अवश्य दर्ज कराया था, लेकिन बाद अनुसंधान पुलिस थाना पिण्डवाडा की ओर से उक्त प्रकरण में अदम वकु (झुठ) मानते हुए एफ. आर. प्रस्तुत की थी, इसके उपरान्त भी प्रार्थी ने जानते बुझते अप्रार्थी संख्या एक को हैरान परेशान करने के बदईरादे से झुठे कथनो के आधार पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव फर्जी या कुटरचित तैयार नही किये गये है। अप्रार्थी संख्या एक के ससुर श्री गूलाजी के चार पुत्र थे, जिसमें मोहनलाल, लीलाराम, शंकरलाल व मीठालाल जी है। अप्रार्थी संख्या एक के पति स्व. श्री मोहनलाल जी का देहावसान 17.10.1999 को हो चुका था, तब अप्रार्थीया का सबसे बडा पुत्र ईश्वरलाल 14 वर्ष का था उससे छोटा प्रकाश कुमार 12 वर्ष का, पुनाराम 9 वर्ष का, भरत कुमार 5 वर्ष का तथा सुरेश कुमार 3 वर्ष का था। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या एक के पति का कम उम्र में देहावसान हो जाने से अप्रार्थी संख्या एक के पुत्रगण से पिता का साया उठ गया था, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक को बी.पी.एल. श्रेणी में पात्र माना था तथा अप्रार्थी संख्या एक के उक्त भूखण्ड के लगता उसके ससुर मुलाराम पुत्र जेठाजी का भूखण्ड आया हुआ है, जो लीलाराम जी के हक हिस्से में आया था एवं अप्रार्थी संख्या एक के पति देहावसान के पूर्व लगभग 5 साल से बीमार चल रहे थे, उनके बीमारी के दौरान व देहावसान के पश्चात उसके देवर लीलाराम जी ही इनकी सार संभाल व सम्पति की देख रेख करते थे, जिससे कभी किसी दस्तावेज में अप्रार्थी संख्या एक की भूमि पर लीलाराम पुत्र गुलाजी का कब्जा सहवन से दर्शाया हो तो उससे प्रार्थी को कानूनन कोई हक अधिकार पैदा नही होता है, जबकि वादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा शुरूआत से ही अप्रार्थी संख्या एक का ही रहा है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक के पांच पुत्र होना तो सही है परन्तु मुकेश नाम का कोई पुत्र अप्रार्थी संख्या एक का नहीं है तथा श्री ईश्वरलाल, पुनाराम व सुरेश चैन्नई में कपड़ों की दुकान पर सेल्समेन का काम करते है तथा प्रकाश अपने चाचा लीलाराम जी के पेट्रोल पम्प पर नौकरी करता है तथा मुकेश नाम का कोई पुत्र नहीं है। प्रार्थी द्वारा जिन भूखण्डों को प्रार्थना पत्र में दर्शाया गया है, उन भूखण्डो से अप्रार्थी संख्या एक का किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या एक के पास कोई अन्य मकान या टीवी, फ्रिज, कूलर आदि की सुविधायें भी नही है। अप्रार्थी संख्या एक बी.पी.एल. श्रेणी की अन्य पिछडा वर्ग की विधवा महिला है, जो बी.पी.एल. की पात्रता रखने से उसे ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार बी.पी.एल. कार्ड पूर्ण जांच कर जारी किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक कमजोर वर्ग की सदस्या है तथा वह रियायती दर पर उक्त भूमि क्रय करने की पात्रता रखती थी, जिसे नियमानुसार उक्त पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है, जबकि प्रार्थी ने अपने पिता के मकान के आगे आम रास्ते की 12 फिट भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है तथा प्रार्थी के पिता के मकान व अप्रार्थी संख्या एक के कब्जेशुदा

जिला कलेक्टर, सिरोही

.....पेज नं. 06

Scanned with CamScanner

भूखण्ड के बीच आम रास्ता आया हुआ है, उस रास्ते के पश्चात अप्रार्थी संख्या एक का भूखण्ड है। दोनो भूखण्डों के बीच रास्ते की भूमि पर प्रार्थी ने छपरानुमा ढालीया से अतिक्रमण कर रखा है। पूर्व में भी प्रार्थी के पिता गणेश पुत्र बदाजी के सगे भाई रामा पुत्र बदाजी ने लीलाराम पुत्र मुलाजी व उनके अन्य परिवारजन पर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा के न्यायालय में अप्रार्थी संख्या एक के भूखण्ड को आम रास्ता व सार्वजनिक पोल की जगीन बताते हुए एक वाद प्रस्तुत किया था, जो वाद संख्या 21/1996 पर दर्ज रजिस्टर किया गया था उसमें मौके की स्थिति को दर्शाते हुए नक्शा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भी गणेश पुत्र बदाजी के मकान के आगे 12 फिट चौडाई में रास्ते का उल्लेख किया था तथा अप्रार्थी संख्या एक के भूखण्ड पर लीला पुत्र मुलाजी का कब्जा बताया था तथा उसके आगे दक्षिण में 10 फीट गली होने का उल्लेख किया था, जो गली आज भी मौके पर स्थित है तथा गणेश पुत्र बदाजी ने उसके मकान के आगे 12 फिट रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया, जो उक्त नक्शे से भी यह पूर्णतया प्रमाणित है कि प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी संख्या एक के भूखण्ड के बीच 12 फीट गली स्थित है। उक्त गली व गली के पश्चात पूर्व दिशा में स्थित भूमि व भूखण्ड से प्रार्थी का किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, उसके उपरान्त भी गलत कथनो के आधार पर उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक के ससुर श्री मूलारामजी के हक में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 110 दिनांक 23.09.1976 को जारी किया हुआ है, जो लीलाराम जी के हक हिस्से में आया हुआ है तथा मूलारामजी के उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड के दक्षिण दिशा में 11×42 फीट भूमि अप्रार्थी संख्या एक के कब्जे स्वामित्व की भूमि है, जिस पर बाद जांच नियमानुसार अप्रार्थी संख्या एक के हक में पट्टा जारी किया गया है तथा पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार बैठक कार्यवाही कर प्रस्ताव लिये गये है। यह कि वार्ड पंचान ने सही टिप्पणी की है तथा प्रार्थी ने गलत रूप से अप्रार्थी संख्या एक, अप्रार्थी संख्या दो व सभी वार्ड पंचान पर गलत रूप से आरोप लगाये है, जबकि प्रस्ताव व भूमि विक्रय के संकल्प विधि अनुरूप लिए गए है। यह कि उक्त सम्पत्ति के लगते अप्रार्थी संख्या एक के ससुर का पट्टेशुदा भूखण्ड आया हुआ है, जो लीलाराम के हक हिस्से में आया था, जिस पर लीलाराम का कब्जा है तथा उक्त भूखण्ड के लगता दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा है। न्यायालय में किसी भी वाद की कार्यवाही में किसी तृतिय पक्षकार ने सहवन से अगर अप्रार्थी संख्या एक के भूखण्ड का गलत रूप से लीलाराम का कब्जा होने का अगर उल्लेख कर दिया है, तो उससे अप्रार्थी संख्या एक बाध्य नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक का वादग्रस्त भूखण्ड पर कदीम से कब्जा है। इस संबंध में ग्राम पंचायत ने अपने स्तर से पूर्ण जांच कर अप्रार्थी संख्या एक के हक में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। यह कि प्रार्थी के पिता गणेश राम पुत्र बदाजी के सगे भाई रामा पुत्र बदाजी ने सिविल कोर्ट में 1996 में दावा पेश किया था, जिसमें भी गली को 10 फीट चौडाई में दर्शाया था, जो आज भी मौके पर मौजूद है। अतः उक्त भूमि कभी भी सार्वजनिक आम रास्ते का भाग नहीं रही है। अप्रार्थी संख्या एक के उक्त भूखण्ड में रास्ते की तरफ अर्थात दक्षिण दिशा में मौके पर दीवार पूर्व से ही निकाली हुई है, जो मौके पर मौजूद है एवं भूखण्ड क पश्चिम दिशा में दीवार निकाली हुई है, जो मौके पर मौजूद है। अतः रास्ते की भूमि के भाग पर अवरोध पैदा करने का सवाल ही नहीं है। यह कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 166 के तहत आबादी भूमि विक्रय करने के पंचायत के मूल आदेश की अपील अधिनियम की धारा 61 के तहत किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे यह निगरानी पोषणीय ही नहीं है। यह कि प्रार्थी निगरानी के माध्यम से अपील निर्णित करवाना चाहते है। निगरानी व अपील की सुनवाई व आपत्ति हेतु प्रथक व सिमित अधिकार प्रदान किये गये है। प्रार्थी ने निगरानी के जो आधार लिये है, वे अपील में ही उठाये जा सकते है। प्रार्थी निगरानी के जरिये उठाई गई आपत्ति की सुनवाई कराने का अधिकारी नही है और निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अवधि मध्य नहीं है। सामान्य परिसीमा अवधि अधिनियम के तहत निगरानी हेतु 90 दिन की अवधि निश्चित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। यह कि प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या एक को जारी पट्टेशुदा भूखण्ड से किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। उसका कही भी हित प्रभावित नहीं होता है। इस

जिला कलेक्टर, सिरोही

.....पेज नं. 07

Scanned with CamScanner

प्रकार प्रार्थी व्यथित व्यक्ति नहीं है तथा इस प्रकरण में उसकी कोई Locus Standy नहीं है, जिससे उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, जिससे उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही कानूनन परिपोषणीय नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। शपथ पत्र के अभाव में भी उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक की जानकारी में अप्रार्थी संख्या दो द्वारा नियमों की पालना विधिवत की गई है, उसमें कोई अनियमितता नही है। नियम व प्रावधान विधिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिये बनाये गये है, न की उनकी आड में अडचने व उलझने पैदा करने के लिये। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र मय खर्चे हर्जे खारिज कराना फरमायें तथा अप्रार्थी संख्या एक को विशेष हर्जाना के रूपये 25,000/– भी प्रार्थी से दिलाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री नारायण पटेल द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी गांव वीरवाडा का निवासी है तथा ग्राम वीरवाडा में डाकघर जाने वाले रास्ते के लगता बाणमाता जी का मंदिर आया हुआ है, उसके पास में स्थित गली के आगे 12 फिट चौडाई में रास्ता मिलता है एवं उस रास्ते पर प्रार्थी के पिता गणेश पुत्र बदाजी व उसके भाई रामा पुत्र बदाजी व अन्य के मकानात आये हुए है। प्रार्थी के पिता गणेश पुत्र बदाजी का मकान केलुपोश के रूप में अवश्य बना हुआ है, उक्त मकान के आगे 12 फिट चौडाई में रास्ता था, जिस पर प्रार्थी व उसके पिता ने अतिक्रमण कर रखा है। उस रास्ते के पश्चात की भूमि से प्रार्थी या उसके पिता का कभी भी कोई लेना देना नही रहा है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या एक के कब्जा भोगवटा व मालकी स्वामित्व की भूमि है, जिसका वह कदीम से उपयोग उपभोग करती आ रही है, उसी आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार अप्रार्थी संख्या एक के हक में पट्टा जारी किया हुआ है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक गरीब बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिला है, जिस पर प्रार्थी ने प्रभावशाली व रसूखदार व्यक्ति होने का गलत रूप से आरोप लगाया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को डराने धमकाने एवं झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए पुलिस थाना पिण्डवाडा में मुकदमा अवश्य दर्ज कराया था, लेकिन बाद अनुसंधान पुलिस थाना पिण्डवाडा की ओर से उक्त प्रकरण में अदम वकु (झुठ) मानते हुए एफ. आर. प्रस्तुत की थी, इसके उपरान्त भी प्रार्थी ने जानते बुझते अप्रार्थी संख्या दो को हैरान परेशान करने के बदईरादे से झुठे कथनो के आधार पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा पट्टा बनवाने हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया है एवं उसके पक्ष अप्रार्थी संख्या दो ने नियमानुसार कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव फर्जी या कुटरचित तैयार नही किये गये है, कब्जा शुरूआत से ही अप्रार्थी संख्या एक का ही रहा है तथा अप्रार्थी संख्या एक बी.पी.एल. श्रेणी की अन्य पिछडा वर्ग की विधवा महिला है, जो बी.पी.एल. की पात्रता रखने से नियमानुसार बी.पी.एल. कार्ड की पूर्ण जांच कर पट्टा जारी किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक कमजोर वर्ग की सदस्या है तथा वह रियायती दर पर उक्त भूमि क्रय करने की पात्रता रखती थी, जिसे नियमानुसार उक्त पट्टा जारी किया गया है। यह कि प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा प्रार्थी ने अपने पिता के मकान के आगे आम रास्ते की 12 फिट भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। प्रार्थी के पिता के मकान व अप्रार्थी संख्या एक के कब्जेशुदा भूखण्ड के बीच आम रास्ता आया हुआ है, उस रास्ते के पश्चात अप्रार्थी संख्या एक का भूखण्ड है। दोनो भूखण्डो के बीच रास्ते की भूमि पर प्रार्थी ने छपरानुमा ढालीया से अतिक्रमण कर रखा है। प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी संख्या एक के भूखण्ड के बीच 12 फिट गली स्थित है, उक्त गली व गली के पश्चात पूर्व दिशा में स्थित भूमि व भूखण्ड से प्रार्थी का किसी प्रकार से कोई लेना देना नही है। उसके उपरान्त भी गलत कथनो के आधार पर उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारित किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक के ससुर श्री मूलाराम जी के हक में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 110 दिनांक 23.09.1976 को जारी किया हुआ है

जिला कलेक्टर, सिरोही

.....पेज नं. 08

Scanned with CamScanner

तथा अप्रार्थी संख्या दो द्वारा नियमानुसार अप्रार्थी संख्या एक के हक में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई वाक्यातन भूल नहीं की गई है। यह कि वार्ड पंचान ने सही टिप्पणी की है, प्रार्थी ने गलत रूप से अप्रार्थी संख्या एक, अप्रार्थी संख्या दो व सभी वार्ड पंचान पर गलत रूप से आरोप लगाये है, जबकि प्रस्ताव व भूमि विक्रय के संकल्प विधि अनुरूप लिए गए है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक का उक्त भूमि पर कदीम से कब्जा था तथा उस पर अप्रार्थी संख्या एक कई वर्षों से उपयोग–उपभोग करती आ रही थी तथा अप्रार्थी संख्या एक कमजोर वर्ग की अन्य पिछडा वर्ग की विधवा एवं बी.पी. एल. की पात्रता रखने वाली महिला होने से राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत उक्त पट्टा पाने की पात्रता रखती थी और अप्रार्थी संख्या एक पात्र होने से ही नियमानुसार पटटा जारी किया गया है। यह कि वादग्रस्त सम्पत्ति पर अप्रार्थी संख्या एक ही काबिज रही है। उक्त सम्पत्ति के लगता अप्रार्थी संख्या एक के ससुर का पट्टेशुदा भूखण्ड आया हुआ है, अप्रार्थी संख्या एक का वादग्रस्त भूखण्ड पर कदीम से कब्जा है। इस संबंध में ग्राम पंचायत ने अपने स्तर से पूर्ण जांच कर अप्रार्थी संख्या एक के हक में नियमानुसार पट्टा जारी गया है। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा की गई तमाम प्रक्रिया विधि सम्मत है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक व दो पर गलत रूप से आरोप लगाए है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक के हक में जो पट्टा जारी किया गया है, उस भूमि से लीलाराम या अन्य किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नही है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या एक के सारे दस्तावेज तथा वह रियायती दर पर उक्त भूमि खरीद करने की पात्रता रखने से उसके पक्ष में बाद जांच नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। यह कि श्री मूलाराम जी पुत्र जेठा जी माली को जारी पट्टा के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या एक के मालिकी स्वामित्व का भूखण्ड है तथा उक्त भूखण्ड के पश्चात आम गली 10 फीट की है तथा उसके आगे बाणमाता जी का मंदिर स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या एक के भूखण्ड के पश्चिम दिशा में 12 फीट गली तथा उसके पश्चात प्रार्थी के पिता गणेशराम का मकान होने का उल्लेख किया गया है। उक्त गली पर प्रार्थी ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। प्रार्थी ने रास्ता 20 फीट चौडाई में होने का कथन पूर्णतया गलत किया है। प्रार्थी के पिता गणेश राम पुत्र बदाजी के सगे भाई रामा पुत्र बदाजी ने सिविल कोर्ट में 1996 में दावा पेश किया था, जिसमें भी उक्त गली को 10 फीट चौडाई में दर्शाया था, जो आज भी मौके पर मौजूद है। यह कि प्रार्थी ने जिन दस्तावेज की मांग करना बताया है, उन में से नियमानुसार नकल जारी की गई है। उसके उपरान्त भी प्रार्थी ने अप्रार्थी पर गलत आरोप लगाये है। यह कि प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या एक को जारी पट्टेशुदा भूखण्ड से किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। उसका कही भी हित प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी व्यथित व्यक्ति नहीं है तथा इस प्रकरण में उसकी कोई Locus Standy नहीं है, जिससे उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, जिससे उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही कानूनन परिपोषणीय नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि नियमो की पालना करने का दायित्व अप्रार्थी संख्या दो का था तथा अप्रार्थी संख्या दो द्वारा नियमों की पालना विधिवत की गई है एवं उसमें कोई अनियमितता नहीं है। नियम एवं प्रावधान विधिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिये बनाये गये है, न की उनकी आड में अडचने व उलझने पैदा करने के लिये। यह कि प्रार्थी निगरानी के माध्यम से अपील निर्णित करवाना चाहते है। निगरानी व अपील की सुनवाई व आपत्ति हेतु प्रथक व सीमित अधिकार प्रदान किये गये है। प्रार्थी ने निगरानी के जो आधार लिये है, वे अपील में ही उठाये जा सकते है। प्रार्थी निगरानी के जरिये उठाई गई आपत्ति की सुनवाई कराने का अधिकारी नही है और निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र मय खर्चे हर्जे खारिज कराना फरमावें तथा अप्रार्थी संख्या दो को विशेष हर्जाना के रूपये 25,000/– भी प्रार्थी से दिलाना फरमायें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष इस प्रकार

जिला कलेक्टर, सिरोही

.....पेज नं. 02

Scanned with CamScanner

है कि अप्रार्थी संख्या एक को उक्त विवादित पट्टा संख्या 29548 दिनांक 29.08.2024 क्षेत्रफल-462 वर्गफीट सरपंच ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है।

राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार–

158. भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन– (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए है या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23–ग में जारी किया जा सकेगा)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में से उन्हीं को पट्टा जारी किया जाता है, जिनके पास स्वयं का गृह स्थल/गृह नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या एक का ग्राम पंचायत वीरवाडा में अन्य कोई आवासीय मकान उपलब्ध हो, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं न ही इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पति एवं पुत्रों के अन्य मकान होने का तर्क देकर कुछ मकानात के फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किए गए है तथा अप्रार्थी संख्या एक के नाम से कुछ कृषि भूमि होना भी दर्शाया गया है। चूंकि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पति एवं उनके पुत्रों के नाम से ग्राम पंचायत वीरवाडा में कोई अन्य आवासीय मकान उपलब्ध होने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा मकान का पट्टा, विक्रय विलेख इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी संख्या एक के पास उक्त विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व ही आवासीय मकान उपलब्ध था तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मकानात के फोटोग्राफ से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि वे फोटोग्राफ अप्रार्थी संख्या एक के पति एवं उनके पुत्रों के मकानात के ही फोटोग्राफ है, क्योंकि इन फोटोग्राफों का किसी अन्य व्यक्तियों के मकान के फोटोग्राफ होने की भी संभावना है। इसके अतिरिक्त यदि अप्रार्थी संख्या एक के पास कृषि भूमि उपलब्ध भी है तो वह भी आवासीय प्रयोजनार्थ नहीं है, क्योंकि कृषि भूमि कास्त प्रयोजनार्थ होती है ना कि आवासीय प्रयोजनार्थ। अतः आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या एक के पास किसी भी प्रकार का कोई आवासीय मकान था, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। राजस्थान पंचायती राज सागान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत पंचायत द्वारा आवासहीन व्यक्तियों को ही पट्टा जारी किया जाता है और अप्रार्थी संख्या एक का ग्राम पंचायत वीरवाडा में अन्य कोई आवास हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक श्रीमती बदीदेवी के पास ग्राम पंचायत वीरवाडा में विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड के अलावा अन्य कोई भूखण्ड पंचायत की आबादी भूमि में स्थित नहीं है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या एक अन्य पिछडा वर्ग संवर्ग की बी.पी.एल. परिवार की विधवा महिला है और राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत अन्य पिछडा वर्ग के बी.पी.एल. परिवार के सदस्य को पट्टा जारी किया गया जा सकता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा कूटरचित तरीके से बी.पी.एल. कार्ड ग्राम पंचायत से बनवाया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या एक गरीब परिवार से नहीं होकर सक्षम परिवार से है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि यदि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा कूटरचित तरीके से ग्राम पंचायत से बी.पी.एल. कार्ड बनवाया गया है तो अप्रार्थी संख्या एक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पहले या बाद में अप्रार्थी संख्या एक को जारी बी.पी.एल. कार्ड को निरस्त करवाने हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय या उच्च कार्यालयों

जिला कलेक्टर, सिरोही

.....पेज नं. 10

Scanned with CamScanner

को कोई शिकायत प्रस्तुत की हो, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कोई कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को जारी बी.पी.एल. कार्ड को निरस्त करवाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई हो। अतः प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि विवादित भूखण्ड के आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या एक बीपीएल परिवार की कमजोर वर्ग की सदस्य थी। अतः प्रार्थी द्वारा किया गया कथन कि अप्रार्थी संख्या एक राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखती है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि पर उसके पिता के समय से करीब 50 वर्षों से निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है, जिसे प्रार्थी द्वारा मवेशी बांधने के काम में लिया जा रहा था तथा उस पर एक मात्र स्वामित्व प्रार्थी का ही रहा है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह कथन तो किया गया है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि पर प्रार्थी का उसके पिता के समय से करीब 50 वर्षों से निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है, जिसे प्रार्थी द्वारा मवेशी बांधने के काम में लिया जा रहा था, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे वादग्रस्त पट्टे की भूमि पर प्रार्थी का वर्षों पुराना कब्जा होना साबित हो। इसके अलावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा द्वारा भी वाद वाद संख्या 21/1996 में उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि पर श्री लीलाराम का कब्जा होना बताया गया है तथा श्री लीलाराम द्वारा शपथ पत्र पेश कर अप्रार्थी संख्या एक के हक में पट्टा जारी करने हेतु अनापत्ति ग्राम पंचायत वीरवाडा में प्रस्तुत की गई है। यदि विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का अधिपत्य था तो उसके द्वारा ग्राम पंचायत में उक्त वादग्रस्त पट्टे को जारी करते समय आपत्ति प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, परन्तु प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत वीरवाडा में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पेश की हो, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा साबित करने में असफल रहे है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित पट्टे की भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन पेश किया, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूखण्ड को रास्ते की भूमि होना बताकर प्रार्थी को पट्टा देने से इनकार किया गया। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत वीरवाडा में पट्टे के लिए आवेदन दिनांक 12.05.1997 को प्रस्तुत किया था तथा प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन में अंकित चतुर्दशी एवं अप्रार्थी संख्या एक को जारी वादग्रस्त पट्टे में अंकित चतुर्दशी पूर्णतया भिन्न है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत वीरवाडा में पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन में अंकित चतुर्दशी प्रार्थी के स्वयं के मकान के आगे स्थित रास्ते की भूमि से मिलान होना प्रतीत होती है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा विवादित पट्टे के भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं किया जाकर प्रार्थी के स्वयं के मकान के आगे स्थित रास्ता भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था, जो रास्ता भूमि होने से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी नहीं किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना पिण्डवाडा में विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस थाना पिण्डवाडा की ओर से उक्त प्रकरण में अदम वकु (झुठ) मानते हुए एफ. आर. प्रस्तुत की थी। इसके अलावा ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा दिनांक 23.08.2024 को प्रार्थी एवं श्री लीलाराम को अतिक्रमण के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया गया था, परन्तु उक्त नोटिस में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 23.08.2024 किस भूखण्ड के सम्बन्ध में जारी किया गया है, क्योंकि उक्त नोटिस में किसी भी भूखण्ड के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि पट्टा संख्या 110 दिनांक 23.09.1976 अप्रार्थी संख्या दो द्वारा जारी किया गया है। उक्त पट्टा संख्या 110 में अंकित चतुर्दशी में दक्षिण दिशा में माली गणेशा, रोमा, भगा के पोल का रास्ता अंकित है तथा ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में रास्ते

जिला कलेक्टर, सिरोही

.....पेज नं. 11

Scanned with CamScanner

की भूमि का पट्टा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) पिण्डवाडा द्वारा वाद संख्या 21/1996 में नजरी नक्शें में भी उक्त गली को 10 फीट चौडाई का होना दर्शाया गया था, जो आज भी विवादित पट्टे में अंकित चतुर्दशी के आधार पर मौके पर मौजूद है। अतः ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी विवादित पट्टा प्रथमदृष्टया रास्ते की भूमि पर जारी होना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में पट्टा जारी करते समय नियम 145 से 156 की पालना नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक.एफ.4()विधि/परावि/2011/1134 दिनांक 01.07.2011 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना एवं इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों को नियम 157 व 158 के अन्तर्गत आवंटन व पट्टा जारी करने के लिए नीलामी द्वारा आवंटन किए जाने सम्बन्धी प्रक्रियात्मक प्रावधान नियम 145 से 156 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की पालना अपेक्षित/आवश्यक नहीं है। अतः नियम 157 एवं 158 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प पारित कर बीपीएल परिवारों को पट्टे आवंटन की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत वीरवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी उक्त विवादित पट्टा संख्या 29548 दिनांक 29.08.2024 क्षेत्रफल 462 वर्गफीट में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

Scanned with CamScanner